A 12/7

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :–श्री कैलाशचन्द्र आर.ए.एस

मु0माल स0 679/2016

मोहनलाल पुत्र नत्थूराम जाति स्वामी निवासी 4 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1 रामेश्वरलाल पुत्र नत्थूराम जाति स्वामी निवासी 4 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर

2–स्टेट आफ राजस्थान जरिऐ तहसीलदार

प्रार्थनापत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि01955

उपस्थितिः–1–ओ0पी0बतरा एडवोकेट– प्रार्थी

2–श्रीकुलविन्द्रसिंह एंव अमित स्वामी एडवोकेट– –अप्रार्थी स01

आदेश–: - दिनांकः– 1 अगस्त, 2016

इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नप्रकार से है कि मूल वाद 53–188–92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुऐ यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया हैं। कि विमलादेवी पुत्री मीरादेवी के नाम चक 4 एमएल में खाता स0 84/62 मु0न023 में कि0न04 में 0.158,7में 0. 171,5 में 202,कि0न06 में 0.076 हैक्टयर कुल 0.607 हैक्टयर रकबा खरीद किया हुआ हैं तथा उपरोक्त रकबा का इन्तकाल प्रार्थी के नाम होने के बाद प्रार्थी इस जमीन का खातेदार हैं इसलिऐ प्रथम द्वष्टि से मामला प्रार्थी के हक में है। मु0न023 में कि0न06 में प्रार्थी के उतर से दक्षिण की तरफ करीब 7 बिस्वा पूर्व से पश्चिम में हैं जिसका कब्जा प्रार्थी के पास चला आ रहा है। 7 बिस्वा चौडा सड़क के साथ चिपता हुआ हैं जिसका कब्जा खरीद के दिन से लगातार प्रार्थी का चला आ रह्य हैं। अब प्रतिवादी के मन में बदनीति आ गई हैं इस बदनीति की जह से वादी के करीब 6–1/4 बिस्वा जो सड़क के साथ चिपता हुआ हें वह रकबा बेचान कर रहा हैं कयोंकि जमाबन्दी में 152 हिस्सा प्रतिवादी के नाम एंव 0.076 हैक्टयर प्रार्थी के नाम दर्ज है। अगर भूमि का बेचान कर दिया जाता हें तो उसे ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में हैं।अतः चक 4 एमएल के मु0न023 के कि0न06 में 0.253 हैक्टयर रकबा को मुन्तकिल,रहन

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

—Cont (2)

बैय ना किये जाने तथा मौका एंव रिकार्ड की यथास्थिति रखे जाने का आदेश फरमाया जावें। प्रार्थनापत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनने पर प्राथमिक दृष्टि से सन्तुष्ट होकर दिनांक 27–6–16 को इस अमर की अस्थाई निषेघाज्ञा जारी की गई कि चक 4 एमएल के मु0न023 में अपना हिस्सा विशिष्ट किला खोलकर मुन्तकिल रहन बैय नहीं करने तथा आगामी पेशी तक रिकार्ड वा मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश देते हुऐ अप्रार्थी को जरिऐ जरिऐ रजि0 नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वंय के द्वारा दिनांक 5–7–2016 को प्रार्थनापत्र 151सीपीसी व जबाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मु0न023 का कि0न06 में प्रार्थी का 0.076 हैक्टयर यानि 6 बिस्वा भूमि खरीद शदा हैं जो उतर से दक्षिण 165 फूॅट,पश्चिम दिशा में हैं तथा मुताबिक बैयनामा पेज संख्या 3 पंक्ति संख्या 23 से 27 में मु0न023 के कि0न04 में 0.158,7में 0.171,5 में 0.202,6 में 0.076(4 से 7 के साथ चिपता हुआ)कुल 0.607 हैक्टयर पूर्वी हिस्सा खरीद किया हुआ हैं,का इन्तकाल नक्शानुसार खरीद के दिन से ही पूर्वी हिस्सा पर प्रतिवादी का शान्तिपूर्वक कब्जा रहा हैं प्रार्थी का इस रकबा पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा हे। प्रतिवादी का मन साफ हैं जमाबन्दी में दिशा का उल्लेख नही होता हैं दिशा का उल्लेख नक्शा में होता हैं। प्रार्थी का प्रथम द्वष्टया मामला नहीं बनता हे। ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं। अपूरर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से पूर्व में जारी अस्थाई निषेघाज्ञा को खारिज किया जावें।

दिनांक 28–7–16 को उभयपक्षों के सुयोग्य अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दावा पेश किया है। यह जो भूमि हैं चक 4 एमएल में 3.643 हैक्टयर भूमि मनीराम के नाम थी। प्रार्थनापत्र को दोहराया। कि0न04से7 में चिपता हुआ रकबा हैं नामान्तरण किया गया। कि0न06 का डिस्टेन्स है। 0.076 हैक्टयर रकबा 0.152 अप्रार्थी के नाम नामान्तरण हैं। एक सड़क हैं एक साईड में खाला है। सडक की साईड में 0.076 हैक्टयर रकबा मेरा व शेष सड़क पार इनका हैं पानी की आड से इससे दोनों के लगती थी। राजस्व रिकार्ड में 0.152 हैक्टयर हैं जमाबन्दी में कोई खुलासा नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 का दावा पेश किया। दावा में यह बंटवारा किया हैं कि वो मोके की यथास्थिति बनाये रखे। जबाब में कहा कि खाला अलग अलग हैं। गिरदावरी भी दोनों के नाम हैं। ये बेचान कर दे तो नुकसान हमें होगा। तीनों बिन्दु हमारे पक्ष में है। इस सम्बन्ध में आरआरटी 2004 पेज 647 एंव आरआरटी 2009 पेज 141 की नजीरें प्रस्तुत की हैं। अतः पूर्व में जारी अस्थाई निषेघाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावे। अप्रार्थी के वकील ने अॅपनी बहस में तर्क दिया कि हमारा खाता अलग हैं हमारे खाते में अलग किलाज है। हमने असल नक्शा दिया हैं हमारे नक्शे में विवरण हैं जमाबन्दी में कोई किला नहीं दिया होता है। रजिस्ट्री में भी स्पष्ट

—cont (3)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

(3) A1/2/3 विविध 679/16

लिखा हैं इसमें पूर्वी हिस्सा लिखा हैं जिस हिसाब से यह मांग रहे हैं वह मांग नहीं सकते हैं। नक्शा ही मान्य है। खाता का भी हवाला नहीं दिया हैं।

हमने वकील उभय पक्षों के सुयोग्य अभिभाषकों की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत 2066–2069 के खाता स0 89/84 मु0न023 के कि0न04,5,6,7 ी 0.607 हैक्टयर भूमि मोहनलाल पुत्र नत्थूराम जाति स्वामी के नाम से दर्ज हैं। इस प्रकार मोहनलाल के नाम से कि0न06 में 0.0760 हैक्टयर भूमि हैं तथा खाता स0 109/84 के कि0न06 में 0.152 हैक्टयर भूमि रामेश्वरलाल पुत्र नत्थूसराम जाति स्वामी के नाम से दर्ज हैं। दोनों खातेदारों की अलग अलग खाते में भूमि हैं। प्रस्तुत बैयनामा में दिशाऐ अंकित हैं। बैयनामों के आधार पर इन्तकाल तस्दीक होकर जमाबन्दियां बनी हैं। प्रार्थी का प्रथम द्वष्टया प्रकरण नहीं बनता हैं ओर ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पास में साबित करने में प्रार्थी वकील असफल रहे हैं। प्रार्थी को अपूरर्णीय क्षति हो रही हैं,को भी साबित नहीं कर पाये है। अप्रार्थी के नाम अलग खाते में भूमि हैं,पर अस्थाई निषेघाज्ञा जारी की जानी न्यायोचित नहीं हैं। अतः तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता हैं एंव पूर्व में जारी 27–6–2016 को अस्थाई निषेघाज्ञा निरस्त की जाती हैं। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ शामिल रहें।

आदेश सुनाया गया।

(कैलाशचन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर